सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 05, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 27, *2024* *Asvina 05, Friday, Saka 1946- September 27, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 26, 2024

जी.एस.आर.41 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन. – राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 से संलग्न अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत हैल्परों/ क्लीनरों में से चयन द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत विभाग के हैल्परों/ क्लीनरों/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से चयन द्वारा" प्रतिस्थापित की जायेगी।"

[सं. एफ. 2(4)डीओपी/ए–।।/91]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 26, 2024

G.S.R.41 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of the India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979, in column number 3 against serial number 5, for the existing expression " 90% by direct recruitment and 10% by selection from helpers/cleaners", the expression "90% by direct recruitment and 10% by selection from helpers/cleaners/IV class employees of the department" shall be substituted.

[No. F. 2(4)DOP/A-II/91]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.